राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2023–24/ 1020 दिनांक : 24/5/2023

खुली निविदा

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर मुख्यालय के राजकीय वाहनों हेतु 03 कुशल वाहन चालक **हेतु** प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। अतः इच्छुक फर्मे अपना प्रस्ताव दिनांक 01.06.2023 को अपराह्न 03.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	**कार्य का विवरण**	**संख्या**	**अनुमानित लागत (राशि लाख में)**	**बोली प्रतिभूति राशि रू.**	**प्रपत्र शुल्क**	**निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय**
1	वाहन चालक सेवा	03	8.00 लाख	16000.00	500.00	01.06.2023 अपराह्न 03.00 बजे

निविदा प्रपत्र निगम की **website : http://rmsc.health.rajasthan.gov.in &** **http://sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी
R.A.S.
विशेषाधिकारी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2023–24/ दिनांक :

प्रपत्र "अ"

वित्तीय निविदा प्रपत्र

फर्म/संस्थान का नाम व पता .....

..... कार्य का नाम :

वाहन चालक सेवा

दर का विवरण

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	आरएमएससी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति वाहन चालक	EPF दर प्रतिशत 13%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	कुल योग (4+5+6)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज		GST %	कुल राशि रू. मासिक दर प्रति इकाई (सर्विस चार्ज सहित) (7+9+10)
							प्रतिशत	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वाहन चालक	03	16300.00							

नोटः– निविदादाता द्वारा उक्त सारणी के कॉलम संख्या 5 से 11 तक ही भरना है।

यदि राज्य सरकार द्वारा ई.पी.एफ/ई.एस.आई. की दरों में कमी/वृद्धि की जाती है तो समय–समय पर जारी दरों के अनुसार ही कटौतियों का भुगतान देय होगा।

1. **सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 7 की राशि पर ही सर्विस चार्ज की प्रतिशत एवं राशि अंकित की जानी है। जैसे– 2%, 5% इत्यादि।**
2. **अनौचित्यपूर्ण दरें (Non-feasible) स्वीकार्य नहीं होंगी। निविदादाता को सर्विस चार्ज में सभी खर्चे/मैनेजमेन्ट फीस/ऑवरहेड चार्जेज आदि समाहित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी है।**

उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी शर्तों एवं किए जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है एवं उपरोक्त सभी शर्तें हमें मान्य है।

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067
मेल :rmsc@nic.in
Website : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/वाहन चालक/2023–24/ दिनांक :

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर पर वाहन चालक की सेवा हेतु खुली निविदा की शर्तें

निगम द्वारा निगम मुख्यालय पर उपलब्ध मारूति सुजुकी स्विफ्ट् डिजायर एवं सीयाज के चालन हेतु वाहन चालक की सेवा हेतु सेवा प्रदाता फर्म/संस्था जिन्हें सेवाएँ प्रदान करने के कार्य का अनुभव हो से खुली निविदा आंमत्रित करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 15 के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है:–

ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिसे सेवा प्रदान करने के कार्य का एक या अधिक राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम/भारत सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में न्यूनतम दो साल या अधिक का अनुभव रहा हो। निविदा प्रस्तुत कर सकते है। इच्छुक फर्म/सेवा प्रदाता ऐजेन्सी दिनांक 01.06.2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे तक संलग्न प्रपत्र में निविदा प्रस्ताव राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत कर सकती है।

1. सेवा प्रदाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह वाहन चालकों की सेवाओं के लिए वांछित वाहन चालक का लाइसेन्स, अनुभव तथा पहचान यथा पेन कार्ड/आधार कार्ड आदि से संबंधित दस्तावेजों की पूर्व जाँच करना सुनिश्चित कराएँ।
2. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
3. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
4. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था की होगी।
5. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

6. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

- निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) अथवा (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) का औसत टर्न ऑवर ₹ 5.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
- बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में केन्द्र/राज्य/राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए/ बोर्ड/समिति / आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 3 प्रशिक्षित वाहन चालक एक ही समयावधि में कम से कम 02 वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है।
- आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एव E-mail ID सहित होना अनिवार्य है।
- सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
- यदि कोई निविदादाता पूर्व के अनुबन्धों में EPF/ESI अंशदान जमा कराने में डिफाल्टर रहा है तो उसको तकनीकी रूप से अपात्र (Non-Responsive) माना जाएगा एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।
- सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 **या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) प्रबंध निदेशक,

आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में नियमानुसार अनुमानित लागत राशि की 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

MSME फर्मों को बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

8. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान वाहन चालक की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए वाहन चालक की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

9. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होगें। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। अपूर्ण निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

10. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित वर्तमान कार्यरत वाहन चालक की अनुमानित संख्या 03 है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 8.00 लाख है। निगम द्वारा स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर/जीएसटी टीडीएस की कटौती कर राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि 12 माह के लिए होगी तथा जो RTPP Act, 2012 & Rules 2013 के नियमानुसार 03 माह बढाई जा सकती है।

12. अनुबन्ध

दो या दो से अधिक फर्मो की दरें (सर्विस चार्ज) समान आने पर फर्म की विगत 03 वर्षों से ओसत टर्नऑवर के आधार पर जिस फर्म का अधिक होगा, उसे L-1 Bidder मानते हुए Work Contract किया जायेगा।

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। करार के पश्चात् वाहन चालक सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

13. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त उपस्थिति प्रमाण पत्र में प्रदर्शित उपस्थिति दिवसों के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होगें। निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।

14. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। निगम अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वाहन चालक सेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा। वाहन चालक के भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल भुगतान कर निगम को सूचित करना होगा।

15. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

16. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

17. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

अगर यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें औचित्यपूर्ण नहीं है, अर्थात निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के खर्चे, मैनेजमेन्ट फीस ऑवरहेड चार्जेस आदि समाहित/वहन (meet out) नहीं हो रहे हैं तो, RMSCL द्वारा निविदादाता से विस्तृत Rate Justification माँगा जा सकता हैं।

18. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

19. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

20. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उल्लेखित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

21. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

22. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का

निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं

लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

23. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर है।

1 **अपीलः–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के

पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

24. **अपील का प्रारूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

25. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

26. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

27. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

(राजेन्द्र सिंह)
विशेषाधिकारी
R.A.S.
आरएमएससी
विशेषाधिकारी

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल सेवा प्रदाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

मैं/हमने ..... उक्त अनुरोध पत्र की शर्तों को भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हेतु कटिबद्ध है।

दिनांक

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर